न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 510/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– इन्द्रसिह पुत्र अचलसिह 2– कानसिह पुत्र अचलसिह जातियान राजपूत निवासीगण निम्बो का तालाब, तहसील ओसियां जिला जोधपुर		1– धनसिह पुत्र प्रतापसिह 2– मेघसिह पुत्र प्रतापसिह 3– सोहनसिह पुत्र प्रतापसिह 4– किशोरसिह पुत्र प्रतापसिह समस्त जातियान राजपूत निवासीगण निम्बो का तालाब, तहसील ओसियां जिला जोधपुर 5– तहसीलदार ओसियां जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 24–7–2015 जो तहसीलदार ओसियां द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 10/2012 अनवान इन्द्रसिह वगैरा बनाम धनसिह वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थिति–

1– श्री भूपत सिह जोधा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री चेतनराम जाखड अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 22–2–2018

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम निम्बो का तालाब तहसील ओसियां के खसरा नंबर 80 रकबा 226 बीघा, खसरा नंबर 97 रकबा 1.10 बीघा, खसरा नंबर 100 रकबा 66.16 बीघा, खसरा नंबर 101 रकबा 38.16 बीघा तथा खसरा नंबर 87/472 रकबा 3 बीघा भूमि का खातेदार अचलसिह था । उक्त खातेदार अचलसिह की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके वारिस श्रीमती समन्दरकंवर पत्नी अचलसिह, इन्द्रसिह व कानसिह पुत्रान अचलसिह थे परंतु अचलसिह के फोत होने पर उसके खातेदारी की भूमि का नामांतरकरण उसके दो पुत्रो इन्द्रसिह व कानसिह पि0 अचलसिह के नाम स्वीकार किया गया । अपीलाधीन भूमि मे से खसरा नंबर 80 कीं 226 बीघा भूमि मे से 34 बीघा भूमि धनसिह पुत्र प्रतापसिह को, 34 बीघा भूमि सोहनसिह पुत्र प्रतापसिह को, 34 बीघा भूमि मेघसिह पुत्र प्रतापसिह को तथा 34 बीघा भूमि किशोरसिह पुत्र प्रतापसिह को अलग–अलग बेचान दस्तावेजो के जरिये बेचान कर दी तथा बेचान के आधार पर दिनांक 10–6–77 को नामांतरकरण संख्या 189, 190, 191 एवं 192 स्वीकृत किये गये । उक्त नामांतरकरणो से असंतुष्ट होकर वर्तमान अपीलांट इन्द्रसिह व कानसिह पि0

अचलसिह ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष अलग–अलग चार अपीलें दायर की जिसे अपने निर्णय दिनांक 18–3–93 के स्वीकार कर उक्त चारो म्युटेशनो को जिन्हे ग्राम पंचायत बेदू द्वारा दिनांक 10–6–77 को स्वीकृत किये थे, उन्हे निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार ओसियां को दोनो पक्षो को सुनकर, राजस्व रेकर्ड एवं खातेदारो की जांच करके, बेचान व भूमि के कब्जे के संबंध मे तथ्यो को प्रस्तुत करते हुए जांच कर नये सिरे से म्युटेशन निर्णित करने के निर्देश के साथ रिमाण्ड किया ।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 मेघसिह एवं सोहनसिह ने चार अपीले अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष पेश की जिसके निर्णय दिनांक 24–7–99 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर का निर्णय दिनांक 18–3–93 को निरस्त कर उक्त चारो अपीलों को स्वीकार करके ग्राम पचांयत बेदू द्वारा पारित म्युटेशनो का बहाल रखा ।

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–7–99 के विरूद्ध चार निगरानियां राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे प्रस्तुत की गई । माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 21–4–2004 के द्वारा चारो निगरानियो को स्वीकार कर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर का निर्णय दिनांक 24–7–99 निरस्त कर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–3–93 को यथावत रखा ।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर के निर्णय के द्वारा आदेशित किया कि ''नामांतरकरण संख्या 189, 190, 191, 192 दिनांक 10–6–77 निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार ओसियां को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मामले मे दोनो पक्षकारो को सुनकर राजस्व रेकर्ड एवं खातेदारो की जांच करके बेचान एवं भूमि के कब्जे के संबंध मे तथ्यो को प्रस्तुत कराते हुए एवं जांच कर नये सिरे से निर्णय करें।'' उक्त निर्णय की पालना मे तहसीलदार ओसियां ने प्रकरण दर्ज कर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–7–2015 को पारित किया जाने पर उक्त निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय मे भी यही कथन किया था कि अपीलांट रेकर्डेड खातेदार थे तथा उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई बेचाननामा नही किया गया परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय मे यह भी कथन किया था कि वक्त बेचान अपीलांटगण नाबालिग थे तथा नाबालिग खातेदार की भूमि का विक्रय से पूर्व जिला न्यायालय से अनुमति लेना आवश्यक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ओसियां ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय को भलीभांति समझे बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जबकि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय मे बेचान दस्तावेज का उल्लेख करते हुए अपने निर्णय मे जो निर्देश दिये गये थे । उन निर्देशो की पालना किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया, वह निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–7–2015 को निरस्त करने का निवेदन किया।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट इन्द्रसिह की माता समंदरकंवर ने वर्ष 1977 मे ही हमे बेचान कर दी थी तथा बेचान के आधार पर पृथक पृथक चार नामांतरकरण दर्ज हुए तथा अपीलाधीन भूमि पर लगातार रेस्पो0गण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अपीलाधीन भूमि का आगे और बेचान भी हो चुके है जिनमे से कुछ बेचान के आधार पर स्वीकृत हुए नामांतरकरण को अब तक चुनोती नही दी है । ऐसी स्थिति मे अपीलांटगण यदि अपीलाधीन भूमि मे अपना हक अधिकार होना मानते है तो इसके लिए अपीलाधीन भूमि के संबंध मे हुए बेचाननामो को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाने बाबत कार्यवाही करनी होगी जो अब तक अपीलांट ने नही की है इसलिए अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय मे दिये गये निर्देशो की पालना मे उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर तथा राजस्व रेकर्ड की जांच कर पारित किया है, जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ओसियां द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–7–2015 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं निर्णयो आदि का अवलोकन किया । अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि के संबंध मे हुए पृथक–पृथक चार बेचाननामो के आधार पर स्वीकृत हुए

नामांतरकरण संख्या 189, 190, 191 एवं 192 के विरूद्ध वर्तमान अपीलांट इन्द्रसिह व कानसिह पि0 अचलसिह ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष अलग–अलग चार अपीलें दायर की, उक्त चारो अपीलों को अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर के निर्णय दिनांक 18–3–93 के द्वारा स्वीकार कर अपीलाधीन चारो म्युटेशनो को जिन्हे ग्राम पंचायत बेदू द्वारा दिनांक 10–6–77 को स्वीकृत किये थे, उन्हे निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार ओसियां को दोनो पक्षो को सुनकर, राजस्व रेकर्ड एवं खातेदारो की जांच करके, बेचान व भूमि के कब्जे के संबंध मे तथ्यो को प्रस्तुत करते हुए जांच कर नये सिरे से म्युटेशन निर्णित करने के निर्देश के साथ रिमाण्ड किया । अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 मेघसिह एवं सोहनसिह ने चार अपीले न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष पेश की, जिसके निर्णय दिनांक 24–7–99 के द्वारा उक्त चारो अपीलों को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर का निर्णय दिनांक 18–3–93 को निरस्त कर अपीलाधीन चारो म्युटेशनो को बहाल रखा । उक्त आदेश के विरूद्ध चार निगरानियां माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे प्रस्तुत की गई ।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 21–4–2004 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत चारो निगरानियो को अपने विस्तृत विवेचन के साथ स्वीकार कर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर का निर्णय दिनांक 24–7–99 निरस्त कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–3–93 को यथावत रखा । अथार्त तहसीलदार ओसियां को माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 21–4–2004 मे दिये गये विस्तृत विवेचन के साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–3–93 जिसके द्वारा अपीलाधीन चारो नामांतरकरण संख्या 189, 190, 191 व 192 दिनांक 10–6–77 को निरस्त करते हुए निर्णय मे दिये गये निर्देशो की पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को रिमाण्ड किया था, उसके अनुसार तहसीलदार ओसियां ने अपीलाधीन निर्णय मे अपना कोई स्पष्ट अभिमत पारित नही किया है, जो समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–7–2015 निरस्त कर प्रकरण पुनः तहसीलदार ओसियां को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–4–2004 मे दिये गये विस्तृत विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर के निर्णय दिनांक 18–3–93 मे दिये गये निर्देशो की अनुपालना मे उभय पक्षकारो को नोटिस जारी कर, उन्हे सुनकर, राजस्व रेकर्ड एवं खातेदारो की

जांच एवं अपीलाधीन भूमि के संबंध मे निष्पादित बेचान दस्तावेजात आदि की जांच कर पुनः नये सिरे से स्पष्ट अभिमत के साथ निर्णय पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 22–2–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर